

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर-492 002

क्रमांक F 7-7 / 2015 / XII  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक फरवरी, 2015  
24 FEB 2015

- (1) संचालक,  
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,  
इन्द्रावती भवन,  
छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- (2) समस्त कलेक्टर,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- लंबित खनिज रियायत (रिकॉनेसेन्स परमिट/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा) प्रकरणों का खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 10(A) के तहत निराकरण बाबत।

—:—

भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करते हुए, The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015 जारी किया गया है, जो कि भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 12.01.2015 से प्रभावशील है।

2/ यह कि उपरोक्त अध्यादेश की धारा 10A(1) के अनुसार अध्यादेश जारी होने के पूर्व प्राप्त खनिज रियायत (रिकॉनेसेन्स परमिट/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा) के सभी आवेदन Ineligible हो जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :-

10A. (1) All applications received prior to the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015, shall become ineligible.

3/ यह कि उपरोक्त अध्यादेश की धारा 10(A)(2) के अनुसार अध्यादेश जारी होने के पश्चात् eligible आवेदनों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :-

10A. (2) Without prejudice to sub-section (1), the following shall remain eligible on and from the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015: —

(a) applications received under section 11A of this Act;

(b) where before the commencement of the said Ordinance a reconnaissance permit or prospecting licence has been granted in respect of any land for any mineral, the permit holder or the licensee shall have a right for obtaining a prospecting licence followed by a mining lease, or a mining lease, as the case may be, in respect of that



o/c

/2/1



खनिकर्म अथवा राज्य शासन स्तर पर लंबित शेष समस्त आवेदन निरस्त कर उन्हें नस्तीबद्ध किये जाते हैं।

- 5.3 खनिपट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत ऐसे आवेदन, जो पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रस्तुत किये गये हों अथवा जिनमें राज्य शासन द्वारा खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सद्धांतिक निर्णय लिया जाकर तत्संबंध में पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया जा चुका हो, को छोड़कर जिला कार्यालय, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म अथवा राज्य शासन स्तर पर लंबित शेष समस्त आवेदन निरस्त कर उन्हें नस्तीबद्ध किये जाते हैं।
- 6/ उपरोक्तानुसार रिकॉनेसेन्स परमिट, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनिपट्टा के Ineligible (अयोग्य) हुए आवेदनों के आवेदनकर्ताओं को तदनुसार सूचित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( सुबोध कुमार सिंह )  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग

पृ0कमांक F 7-7 / 2015 / XII

नया रायपुर, दिनांक फरवरी, 2015

प्रतिलिपि :-

24 FEB 2015

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
  2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, वन/आवास एवं पर्यावरण/राजस्व विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
  3. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़,
  4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) छत्तीसगढ़, रायपुर,
  5. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर,
  6. समस्त उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), छत्तीसगढ़,
  7. आदेश फोल्डर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग

o/c